राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 26/21

GCMS NO 2021/45

1. डॉ0 देवेन्द्रशरण धाकड पुत्र गिर्राज शरण धाकड निवासी खण्डेलवाल धर्मशाला के पास जयपुर रोड गंगापुर सिटी हाल सरकारी हास्पिटल श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. पुष्पेन्द्र सिह पुत्र गिर्राज शरण जाति धाकड निवासी खण्डेलवाल धर्मशाला के पास गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. कुमारी यशिका उर्फ परी पुत्री डॉ0 देवेन्द्र शरण उम्र 8 वर्ष नावालिंग जरिये संरक्षक मॉ ज्योति धाकड पत्नि डॉ0 देवेन्द्र शरण जाति धाकड निवासी 3/23 नाई की मण्डी धाकरान एम जी रोड थाना नाई की मण्डी आगरा यू0पी0
2. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 2/21 निर्णय दिनांक 22.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री विकास कुलश्रेष्ठ

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 12.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा जरिये संरक्षिका मॉ ज्योति धाकड द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयां की दादी सम्पति देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति धाकड निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 74 रकबा 0.23 है0 , 75 रकबा 0.19 है0, 76 रकबा 0.25 है0, ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। प्रार्थीयां की दादी के मरने के बाद विरासत का नामा0 संख्या 725 दिनांक 20.10.12 को देवेन्द्रशरण व पुष्पेन्द्र सिह पिसरान गिर्राज शरण ,अर्चना,अन्जना पुत्रियां गिर्राज शरण जाति धाकड के नाम तस्दीक कर दिया गया तथा हक त्याग से अर्चना व अन्जना ने अपने हिस्से को पुष्पेन्द्र सिह व देवेन्द्रशरण के हक मे हक त्याग कर दिया। भूमि खसरा न0 74,75,76 प्रार्थीयां की पैत्रिक भूमि है। जिसमे देवेन्द्रशरण के नाम जो भूमि दर्ज हुई है उसमे देवेन्द्रशरण के नाम दर्ज हिस्से मे प्रार्थीयां का जन्म से ही 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थीयां जन्म से ही देवेन्द्रशरण के नाम दर्ज हिस्से मे 1/2 की कोशेयरर है। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण ने प्रार्थीयां व उनकी मां का परित्याग कर रखा है। प्रार्थीयां की देखभाल व परवरिश सायला की मा ही कर रही है। प्रार्थीयां [illegible] व प्रार्थीयां दिनांक 18.11.20 को आगरा कोर्ट मे आये तो अप्रार्थी संख्या [illegible] ने उनकी [illegible] अपने भाई के नाम करवा दी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अब वह कु0यशिका को भी भूमि मे कोई हिस्सा नही देगा। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण की नियत खराब हो गई है वह बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रार्थीयां के हिस्से की पैत्रिक आराजीयात भूमि हाल ख0न0 74,75 व 76 को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थी देवेन्द्रशरण ने प्रार्थीयां के हिस्से को हडपने के उद्वेश्य से पैत्रिक भूमि मे प्रार्थीयां के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे दिनांक 23.1.20 को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से उसके हक मे हक त्याग कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने हक त्याग के आधार पर समस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 2 अपने हक मे करवाये गये हक त्याग के आधार पर पैत्रिक भूमि मे प्रार्थीयां के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। पैत्रिक भूमि मे प्रार्थीयां के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 को खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 1 ने पैत्रक भूमि मे प्रार्थीयां के हिस्से को जरिये हक त्याग अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे हक त्याग किया है। उक्त हक त्याग को प्रार्थीयां अपने हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित कराने की अधिकारी है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि हाल खसरा न0 74,75 व 76 स्थित ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी मे प्रार्थीयां के हिस्से को दीगर जगह रहन बय नही करे तथा प्रार्थीयां को उसके हिस्से तक बेदखल नही करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीयां/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने एवं मनमाना व कयासी होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय इस विधिक स्थिति की और ध्यान नही दिया कि प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया कि भूमि खसरा न0 74, 75 व 76 स्थित ग्राम हिगोटिया स्व0श्रीमती सम्पति देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद जाति धाकड निवासी गंगापुरसिटी की खातेदारी की भूमि रही है। स्व0सम्पति देवी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामा0 स्व0सम्पति देवी के पुत्र देवेन्द्रशरण एवं पुष्पेन्द्र सिह तथा पुत्रियां अर्चना व अंजना के हक मे दिनांक 20.10.12 को खोला गया। इस तरह अपीलार्थीगण स्व0 सम्पति देवी के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस है तथा प्रथम श्रेणी के वारिस होने के नाते जो सम्पति प्राप्त हुई वह सम्पति अपीलार्थीगण की पैत्रिक ना होकर स्वअर्जित सम्पति कानूनन हो जाती है और जब वादग्रस्त आराजी के आराजीयात है ही नही तो सायला का भी उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई ना नही बनता है। कानूनन पैत्रिक सम्पति वह होती है जो किसी पुरूष वंशज के माध्यम से प्राप्त होती है। यानि चार पीढी के उपर के पुरूष वंशज से प्राप्त सम्पति ही पैत्रिक सम्पति कहलाती है। माता,भाई,चाचा आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से प्राप्त सम्पतियां पैत्रिक नही होकर स्वअर्जित सम्पति कहलाती है। वर्तमान प्रकरण मे भी अपीलार्थीगण को जो सम्पति प्राप्त हुई है वह अपनी माता से प्राप्त हुई है। इस तरह उक्त सम्पति अपीलार्थीगण की स्वअर्जित सम्पति है। उक्त सम्पति पुरूष वंशज के माध्यम से प्राप्त ना होने से पैत्रिक सम्पति नही है। इस सबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई न्यायिक दृष्टांत पारित कर रख है, जैसे कि श्यामनारायण प्रसाद बनाम कृष्णा प्रसाद मे दिनांक 2.7.18 को इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्चतम न्यायालय मे पारित किया है, इसी प्रकार मांगमल बनाम टी वी. राजू मे दिनांक 19.4.18 को उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार का सिद्वान्त पारित किया है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को समझे बिना ही वादग्रस्त आराज़ीयात मे प्रार्थीयां का 1/4 हिस्सा होना गलत प्रकार से अपने निर्णय मे अंकित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नही दिया कि भूमि खसरा न0 74,75 व 76 का अपीलार्थी संख्या 2 वाद पत्र प्रस्तुती के समय तन्हा खातेदार काश्तकार रहा है। तथा खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति के विपरीत जाकर अपीलार्थी संख्या 2 को निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने मे कानूनी भूल की है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा मौजूदा दावा पेश करने से पूर्व ही अपने हिस्से की आराजीयात का रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 23.1.20 को अपीलार्थी संख्या 2 के हक मे निष्पादित कराया जा चुका है। कानूनन रजिस्टर्ड दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। प्रार्थीयां द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराने की कार्यवाही सिविल न्यायालय मे नही की गई है। इस तरह रजिस्टर्ड हक त्याग को निरस्त कराये बिना प्रार्थीयां का ना तो दावा चलने योग्य है ना ही प्रार्थना पत्र चलने योग्य है। सक्षम न्यायालय से जब तक रजिस्टर्ड हक त्याग निरस्त नही हो जाता है एवं कोई अधिकार प्रार्थीयां को प्राप्त नही हो जाते है जब तक प्रार्थीयां किसी प्रकार की कार्यवाही अप्रार्थी/अपीलांट संख्या 2 के विरूद्व करने की अधिकारी नही है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रार्थना पत्र मे लिखे तथ्य के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के समय आगरा मे निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीयां का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही है। लेकिन इसके बावजूद भी मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे का निर्णय पूर्णरूप से मनमाना एवं विधि विरूद्व है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीयां के पिता डॉ0 देवेन्द्रशरण का केवल मात्र 1/4 हिस्सा नामा0 संख्या 725 दिनांक 20.10.12 के अनुसार था शेष 1/4 हिस्सा तो उसकी बहन अर्चना व अंजना द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग कर रजिस्टर्ड दस्तावेज से अपीलार्थी संख्या 1 को दिया है जिस हिस्से से प्रार्थीयां का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। लेकिन इसके बावजूद भी वादग्रस्त आराजीयात के [illegible] मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय पूर्णतया कानून के विपरीत है तथा कानून की अवहेलना है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीयां प्रकरण मे किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया यह साबित नही कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पाई है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक किसी प्रकार से है और जब वादग्रस्त आराजी को पैत्रिक होना ही पत्रावली पर किसी प्रकार प्रमाणित नही है तो उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीयां का 1/4 हिस्सा होने का भी कोई प्रश्न पैदा नही होता है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थी की स्वअर्जित आराजी है जिसमे अपीलार्थी संख्या 1 के जिवित रहते प्रार्थीयां का कोई अधिकार किसी भी कानून मे नही बनता है। इसके अलावा यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग दावा प्रस्तुती से पूर्व ही दिनांक 23.1.20को अपीलार्थी संख्या 2 के हक मे कर दिया है जब अपीलार्थी संख्या 1 के पास किसी भी प्रकार व किसी भी कानून मे काई अधिकार हासिल नही है। इसके बाबजूद भी वादग्रस्त आराजीयात मे से 1/4 हिस्से तक मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पूर्णतया औचित्यहीन है विधि के विपरीत है। इस कारण आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पढने से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण के तथ्यो का समझे बिना व प्रकरण मे मूल विवाद किस बात का है उस बात को समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है। क्योकि उक्त प्रकरण मे विवाद यह है कि आया वादग्रस्त सम्पति पैत्रिक है अथवा स्वअर्जित। यदि सम्पति पैत्रिक है तो निश्चित रूप से प्रार्थीयां का हिस्सा बनता है और यदि सम्पति पैतृक नही है तो प्रार्थीयां का कोई हिस्सा नही बनता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कही भी यह अंकित नही किया कि सम्पति पैत्रिक है या स्वअर्जित। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर विधिक स्थिति को समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय अपने निर्णय के पेज न0 8 पर अंकित किया है कि प्रार्थीयां यशिका का जन्म दिनांक 20.1.12 को हुआ है। माननीय सुप्रिम कोर्ट की लार्जर बैंच द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार प्रार्थीयां का जन्म से ही पिता की सम्पति पर अधिकार उत्पन्न हो गया है। ऐसा लिखते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सुप्रिम कोर्ट की लार्जर बैंच के न्याय सिद्वान्त का गलत दृष्टिकोण उक्त प्रकरण मे निकाला है। क्योकि सुप्रिम कोर्ट के लार्जर बैंच के किसी न्याय दृष्टांत मे ऐसा कोई निर्णय कभी भी पारित नही हुआ है कि पिता के जिवित रहते पिता की स्वअर्जित सम्पति मे उसकी पुत्री को अधिकार हासिल हो। इंसके अलावा सुप्रिम कोर्ट की लार्जर बैंच के जिस न्याय दृष्टांत का हवाला उक्त आदेश मे दिया है वह न्याय दृष्टांत मौजूदा प्रकरण पर किसी भी प्रकार चस्पा नही होता है। क्योकि उक्त दृष्टांत पैतृक सम्पति के बाबत है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की सही स्थिति को समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व इस विधिक स्थिति पर ध्यान नही दिया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे पुरूष वंशज से प्राप्त सम्पति का वितरण धारा 9, 10, 11 व 12 के अनुसार किया जाता है, जबकि मृत हिन्दु नारी की सम्पति के वितरण के नियम [illegible]। धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्त्री अपनी सम्पति की [illegible] हिन्दू नारी की सम्पति के प्रथम श्रेणी के वारिसो को प्राप्त होने वाली [illegible] सम्पति कहलाती है। इस तरह हस्तगत प्रकरण मे जो सम्पति अपीलार्थीगण को अपनी [illegible]ता से प्राप्त हुई , वह सम्पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलार्थीगणं की स्वअर्जित सम्पति कानूनन हो गई। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस स्थिति को समझे बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 22.3.21 को खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने वहस कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा न0 74 रकबा 0.23 है0, 75 रकबा 0.19 है0, व खसरा न0 76 रकवा 0.25 है0 वाके ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है जो कि रेस्पो/प्रार्थीयां की दादी श्रीमति सम्पति देवी के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात विरासत के नामा0 संख्या 725 दिनांक 20.10.12 को अपीलांटगण एवं उसकी जायज पुत्रिया अर्चना व अंजना के नाम आई थी। चूकि प्रार्थीयां/रेस्पो0 डॉ0 देवेन्द्रशरण की जायज पुत्री है जिसको पिता की सम्पति मे जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीयां/रेस्पो0 के पिता द्वारा गलत रूप से अपने हिस्से की आराजीयात को पुष्पेन्द्रसिह के हक मे हक त्याग कर दिया तथा अर्चना एवं अंजना द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपीलांट संख्या 2 पुष्पेन्द्र सिह के नाम कर दिया। इस प्रकार आपस मे मिलीभगत कर सम्पूर्ण जमीन का मालिक अपीलांट संख्या 2 को वना दिया गया जबकि उक्त भूमि मे प्रार्थीयां/रेस्पो0 अपने पिता के हिस्से मे 1/2 हिस्से की हकदार है एवं जन्म से ही भूमि के 1/2 हिस्से की कोशेयेरर है। प्रार्थीया/रेस्पो0 नाबालिंग है जो अपनी मॉ के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है। प्रार्थीयां/रेस्पो0 का जन्म दादी सम्पति देवी के निधन से पूर्व हुआ है। इसलिए वह अपने पिता की सम्पति मे अधिकार रखती है। अपीलांट का यह कथन सिद्व नही है कि विवादित आराजीयात स्वअर्जित सम्पति हो बल्कि उक्त आराजीयात पैतृक सम्पति है। प्रार्थीयां नाबालिंग है जिसकी परवरिशन उसकी मॉ ज्योति धाकड द्वारा की जाती है क्योकि प्रार्थीयां एवं उसकी मॉ ज्योति को मेरे पिता डॉ0 देवेन्द्र शरण धाकड द्वारा परित्याग किया हुआ है। उक्त सम्पति पैतृक सम्पति होने के कारण उसमे प्रार्थीयां/रेस्पो0 का हिस्सा बनता है। जिसे अपीलांट संख्या 2 द्वारा खुर्द बुर्द कर प्रार्थीयां/रेस्पो0 के अधिकारो से वंचित करना चाहता है। जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। इसके कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। सम्पति के अधिकार दावे बाद साक्ष्य तय होगे परन्तु भूमि का रहन बय नही हो एवं प्रार्थीयां/रेस्पो0 के हक एवं अधिकारो की रक्षा हो सके इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात मे अपने पिता के हिस्से 1/2 मे से हिस्सा 1/2 अर्थात 1/4 के लिए मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 74 रकबा 0.23 है0, 75 रकबा 0.19 है0 एवं खसरा न0 76 रकबा 0.25 है वाके ग्राम हिगोटिया का खातेदारी पूर्व मे सम्पति देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद धाकड निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी की आराजीयात रही है। श्रीमती सम्पति देवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्वर्गवास के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजीयात का नामा0 संख्या 725 दिनांक 20.10.12 को अपीलांटगण देवेन्द्रशरण एवं पुष्पेन्द्र सिह पिसरान गिर्राज प्रसाद व अन्जना , अर्चना पुत्रियां गिर्राज प्रसाद के नाम दर्ज हुआ। अन्जना एवं अर्चना द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने भाई पुष्पेन्द्र सिह के नाम किया गया एवं अपीलांट देवेन्द्रशरण द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने भाई पुष्पेन्द्र सिह के पक्ष मे किया गया है। चूकि:प्रार्थीयां/रेस्पो0 यशिका अपीलांट देवेन्द्रशरण की पुत्री है जिसका जन्म श्रीमती सम्पति देवी की मृत्यु से पूर्व ही हुआ है जिससे वह अपने पिता की सम्पति मे हिस्से अनुसार अधिकार रखती है। अपीलांट संख्या 2 द्वारा हक त्याग की आड मे विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द एवं बेचान किया जाता है तो उससे प्रार्थीयां/रेस्पो0 के अधिकारो का हनन होना पूर्णतया संभव है। साथ ही वाद वाहुलता होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो/प्रार्थीयां के पक्ष मे साबित है साथ ही यदि विवादित आराजीयात का रहन बेचान होता है तो रेस्पो/प्रार्थीयां को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। विवादित आराजीयात के बाबत हक एवं अधिकारो का निर्धारण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन दावे मे तय होना शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट देवेन्द्रशरण के हिस्सा 1/2 मे से हिस्सा 1/2 अर्थात वादग्रस्त भूमि मे से 1/4 हिस्से के लिए मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये है जो विधिक आदेश है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णरूप से विधि के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 2/21 मे पारित निर्णय दिनांक 22.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested